


24.07.2024:—पत्रवली पेशी मे ली गई। उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता के निवेदन पर सुना गया। पत्रवली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एव अधिवक्ता की बहस को मध्यनजर रखते हुए। वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना मे पत्र जारी कर तहसीलदार हनुमानगढ़ को पत्र जारी होकर शामिल मिशन किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

